भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. : *325

उत्तर देने की तारीख : 12.08.2025

अनुसूचित जातियों का कल्याण

***325. डॉ. तिरूमावलवन थोलकाप्पियान:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु आबंटित निधियों का इष्टतम रूप से/पूर्ण उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटित निधियों का कथित रूप से अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सूचित किए गए/ध्यान में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इनमें अंतर्ग्रस्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

अनुसूचित जातियों का कल्याण के संबंध में डॉ. तिरुमावलवन थोलकाप्पियान द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *325, जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2025 को दिए जाने के लिए नियत है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अनुसूचित जातियो के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति विकास कार्य-योजना (डीएपीएससी) के अंतर्गत आवंटित और उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	डीएपीएससी के तहत आवंटित निधि (संशोधित अनुमान)	निधि का उपयोग	उपयोग की प्रतिशतता
2020-21	82,707.51	62,785.16	75.91
2021-22	1,39,863.94	1,23,009.63	87.95
2022-23	1,52,110.47	1,38,642.75	91.15
2023-24	1,46,689.90	1,35,178.59	92.15
2024-25	1,38,372.79	1,23,437.37	89.21

(ग): वर्ष 2017 में नीति आयोग द्वारा जारी डीएपीएससी दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति विकास कार्य-योजना (डीएपीएससी) के अंतर्गत निधियों को डायवर्ट करने की अनुमति नहीं है।

(घ): प्रश्न ही नहीं उठता।

*****